भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 4216
मंगलवार, 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

+4216. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं;
(ख) अब तक एनसीडीसी के अंतर्गत वर्ष-वार किस प्रकार की योजनाएँ शुरू की गई हैं; और
(ग) देश भर में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या नए उपाय/पहल की गई हैं और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जो सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन है, की स्थापना मार्च, 1963 में संसद के अधिनियम (एनसीडीसी अधिनियम, 1962) यथासंशोधित 1974 और 2002 के अधीन की गई । निगम का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु किसान सहकारी समितियों को प्रोत्साहित, सशक्त और विकसित करना एवं कृषि विपणन और निविष्टियों के कार्यक्रमों तथा कृषि उपज के प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन तथा बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि निविष्टियों, आदि की आपूर्ति पर फोकस करते हुए फसलोत्तर सुविधाएं स्थापित करना है ।

(ख): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) निम्नलिखित कार्यकलापों और सेवाओं के लिए सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है:

(i) विपणन;
(ii) प्रसंस्करण;
(iii) भंडारण;
(iv) शीत श्रृंखला;
(v) औद्योगिक;
(vi) सहकारी समितियों के माध्यम से अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण;
(vii) क्रेडिट और सेवा सहकारी समितियां/अधिसूचित सेवाएं;

(viii) सहकारी बैंकिंग इकाई;
(ix) कृषि सेवाएं;
(x) जिला प्लान की योजनाएं;
(xi) दुर्बल वर्ग की सहकारी समितियां;
(xii) सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए सहायता;
(xiii) संवर्धनात्मक और विकासात्मक कार्यक्रम ।

हाल के वर्षों में एनसीडीसी ने क्षेत्रक-विशिष्ट योजनाओं की शुरूआत की है और सहकारी क्षेत्र की उभरती जरूरतों के साथ संरेखित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें महिला सशक्तीकरण, सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल पर निम्नानुसार विशेष बल दिया गया है:

1. **युवा सहकार:** वित्तीय वर्ष 2019-20 में लॉन्च की गई यह योजना नए और/या अभिनव विचारों वाली नवस्थापित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन को लक्षित है ।

2. **आयुष्मान सहकार:** वित्तीय वर्ष 2020-21 में लॉन्च की गई इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को शामिल करने का व्यापक दृष्टिकोण है ।

3. **नंदिनी सहकार:** वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू की गई इस योजना का लक्ष्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता को बढ़ावा देना है । यह महिलाओं के उद्यम के महत्वपूर्ण इनपुट्स, व्यवसाय योजना तैयार करना, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी, और/या अन्य योजनाओं के ब्याज अनुदान का अभिसरण करेगा ।

4. **डेयरी सहकार:** वित्तीय वर्ष 2021-22 में लॉन्च की गई यह योजना सहकारी डेयरी व्यवसाय पर केंद्रित एक वित्तीय सहायता संरचना है जिसका लक्ष्य सहकारी समितियों को ESG (पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन) से जुड़े कार्यकलापों में उच्चतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें सहकारी समितियों द्वारा नए परियोजनाओं के लिए तथा मौजूदा परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और/या विस्तारण के लिए अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है ।

5. **डिजिटल सहकार:** डिजिटल इंडिया के साथ संरेखित यह योजना वर्ष 2021-22 से लागू है जिसमें एनसीडीसी ने डिजिटली सशक्त सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी द्वारा हैंडहोल्डिंग और क्रेडिट लिंकेज हेतु केंद्रित वित्तीय सहायता की परिकल्पना की है जिसमें सहकारी समितियों की डिजिटल इंडिया में सक्रिय प्रतिभागिता के उद्देश्य से भारत सरकार/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/एजेंसियों के अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन, इत्यादि के साथ डवटेल किया जाता है ।

6. **स्वयं शक्ति सहकार योजना:** वित्तीय वर्ष 2022-23 में लॉन्च की गई यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने हेतु कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है ।

7. **दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना**: वित्तीय वर्ष 2022-23 में लॉन्च की गई यह योजना एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यकलापों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए कृषि क्रेडिट सहकारी

समितियों को आगे ऋण देने हेतु दीर्घावधि ऋण/अग्रिम प्रदान करने की एनसीडीसी की दीर्घावधि वित्तीय सहायता की योजना है ।

8. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान की पूर्ववर्ती केंद्रीय क्षेत्रक योजना:** सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को सशक्त करने के लिए ।

9. **पूर्ववर्ती केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकार योजना (CSISAC) –** सहकारी समितियों के विकास के लिए एनसीडीसी कार्यक्रम को सहायता ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अन्य केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के साथ डवटेलिंग के पश्चात अपनी निधियों और सब्सिडी में से ऋण (दीर्धकालिक और अल्पकालिक) भी प्रदान करता है:

I. भंडारण अवसंरचना और भंडारण से अन्यत्र अवसंरचना के लिए केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि विपणन (CSISAM) की कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) उप-योजना - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।
II. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) – फसलोत्तर एकीकृत प्रबंधन – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।
III. कृषि अवसंरचना निधि के अधीन वित्तीय सुविधा के माध्यम से ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी योजना - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।
IV. राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET) के बीज और रोपण सामग्री उपमिशन (SMSP) के अधीन बीज उत्पादन घटक को बढ़ाने के लिए सहायता ।
V. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) – मत्स्यपालन विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।
VI. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) – खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय।
VII. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन की योजना– कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।
VIII. (1) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) – खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन योजना- खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ।
(2) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)– एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना - खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ।
IX. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) – जनजातीय कार्य मंत्रालय ।
X. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) - मत्स्यपालन और डेयरी विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।
XI. पुन:संरेखित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) - मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।

(ग): भारत सरकार 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से, जिसे अब बढ़ाकर 2925.39 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है, कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियाजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम

से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है । यह सॉफ्टवेयर देश भर में इस परियोजना में शामिल सभी पैक्स को प्रदान किया गया है जिससे वे पैक्स के सभी कार्यों, क्रेडिट और गैर-क्रेडिट दोनों पर डेटा का संकलन कर सकें । यह सॉफ्टवेयर राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलनयोग्य है ।

यह ईआरपी-आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एक कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से पैक्स की कार्यक्षमता को बढ़ाता है । इसके अतिरिक्त, यह शासन और पारदर्शिता को सशक्त करता है जिससे ऋणों का त्वरित संवितरण, लेनदेन लागत में कमी, भुगतान असंतुलनों में कमी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होता है । इसके अतिरिक्त, नाबार्ड द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण और आवश्यक हैंडहोल्डिंग सहायता यह सुनिश्चित करती है कि छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ ऐसे लोग जो डिजिटली साक्षर नहीं हैं, दोनों इस डिजिटलीकरण से समान रूप से लाभान्वित हो सकें ।

एक व्यापक ईआरपी समाधान अनेक कार्यों को एकीकृत करता है जिसमें सदस्यता प्रबंधन, जमा और उधार (अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक) जैसी वित्तीय सेवाएं , प्रापण, प्रसंस्करण इकाइयां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), व्यवसाय नियोजन, भांडागारण, क्रय-विक्रय, उधार, आस्ति प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, इसमें पैक्स सदस्यों के लिए निर्बाध वित्तीय लेनदेन की सुविधा हेतु रुपे और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)/डेटाबेस एकीकरण को समाविष्ट करने का प्रावधान है ।

पैक्स कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पैक्स की कार्यक्षमता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार लाना है । इसके महत्वपूर्ण लाभ में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऋणों का त्वरित संवितरण;
- लेनदेन लागतों में कमी;
- भुगतान असंतुलनों में कमी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन;
- किसानों के बीच पैक्स कार्यकरण के प्रति विश्वसनीयता में वृद्धि ।

पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK), कॉमन सेवा केंद्रों (PMKSK), प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (PMBJK), ब्याज अनुदान, उर्वरक और बीज वितरण, सार्वजनकि वितरण प्रणाली (PDS) आउटलेट्स, एलपीजी/पेट्रोल/डीजल डीलरशिप्स, कस्टम हाइरिंग, आदि जैसी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए हब्स के रूप में भी विकसित किया जा रहा है । कृषि ऋण और सेवा प्रदाय को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने पैक्स ईआरपी सिस्टम को अन्य राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकृत करने की कार्रवाई की शुरूआत की है । इनमें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK), कॉमन सेवा केंद्रों (PMKSK), प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (PMBJK), किसान ऋण पोर्टल आदि के साथ एकीकरण करना शामिल है ।

*****